प्रपत्रः—8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्पः—पंचायत मुख्यालय, लोहिडी

प्रकरण सं.:—76/2018

दिनांकः—5.6.18

क्रमांकः—लो.अदा./2018/1265

निर्णय

वादी की ओर से एक राजस्ववाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस आंशय प्रस्तुत किया गया कि ग्राम घांचीडा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 323 व 505/311 कुल रकबा 21—09 बीघा भूमि अवस्थित है,जो वादी की आवगी खातेदारी में दर्ज है। जिसमें वादी का अशुद्व नाम प्रविष्ठि हो रखा है, जबकि वादी का वास्तविक नाम हरजीराम न होकर हाजीराम है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में हरजीराम के स्थान पर हाजीराम शुद्व प्रविष्ठि किया जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार सिणधरी से जांच करवाई गई। तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्ठि अंकित हो रखी है, जबकि सरकारी दस्तावेज यथा— आधार कार्ड, दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि. शाखा का प्रमाण पत्र,परिवार राशन कार्ड एवं दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि. शाखा बालोतरा द्वारा जारी बैंक डायरी प्रतिलिपि में वादी का हाजीराम शुद्व नाम अंकन है। जो हरजीराम के स्थान पर हाजीराम नाम शुद्व किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

लिहाजा राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम घांचीडा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 323 व 505/311 कुल रकबा 21—09 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) में अंकित प्रविष्ठि हरजीराम वल्द गिरधारीराम के स्थान पर हाजीराम वल्द गिरधारीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदूस्तर रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

क्रमांकः—लो.अदा./2018/1266-68

दिनांकः— 5.6.18

प्रतिलिपिः—

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री हाजीराम पुत्र गिरधारीराम निवासी घांचीडा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner